

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली,
पिन कोड-110092

पत्रांक/NOC/

/2024-25

दिनांक: 26/6/2024

विषय:- लाल सिंह इण्टरनेशनल स्कूल, हथगाँव, फतेहपुर, उ०प्र० को सी०बी०एस०ई० बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1916/15-7-09-1(299)/2007 शिक्षा(7) अनुभाग, लखनऊ दिनांक 14 जुलाई, 2009 एवं शासनादेश संख्या-2144/15-07-2020-1(34)/2020 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-07, लखनऊ दिनांक 07 जनवरी, 2021 द्वारा सी०बी०एस०ई० बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के परीक्षणोपरान्त मण्डलायुक्त, प्रयागराज की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय समिति के अनुमोदन/संस्तुति दिनांक 14.06.2024 के क्रम में लाल सिंह इण्टरनेशनल स्कूल, हथगाँव, फतेहपुर, उ०प्र० को सी०बी०एस०ई० बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जाता है-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र एवं पंजिकाओं में रखा जायेगा। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

Manager

LAL SINGH INTERNATIONAL SCHOOL
Hathgaon-Fatehpur

PRINCIPAL

Lal Singh International School
Hathgaon-Fatehpur

9. सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता से युक्त अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे।
10. संस्था द्वारा ट्रस्ट/सोसाइटी के बाईलाज में यह भी प्राविधान किया जायेगा कि उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।
11. सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित कर्मचारियों की सेवा नियमावली का पालन किया जायेगा।
12. छात्र/छात्राओं से वही शुल्क लिया जायेगा जिन मदों में शुल्क अनुमन्य है।
13. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में एक ही परिवार बाहुल्य नहीं रखा जायेगा।
14. शिक्षण कक्ष/प्रयोगशाला/पुस्तकालय/कार्यालय कक्ष मानक के अनुरूप ही रखे जायेंगे।
15. विद्यालय द्वारा ग्राम समाज की भूमि तथा पनधट, गोचर, तालाब, खलिहान का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा एवं सम्बद्धता के पूर्व संस्था में अप्रशिक्षित शिक्षकों के स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापक रखे जायें तथा संस्था के कर्मचारियों को जो राज्य सरकार से कम वेतन दिया जा रहा हो उसे पूर्ण किया जाये।

यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है एवं विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा आवेदन के समय जो पत्रजात/अभिलेख अपलोड किये गये/प्राप्त कराये गये हैं, उनका विचलन अथवा कोई तथ्यगोपन संज्ञान में आने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय

(दिब्य कान्त शुक्ल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज

पृष्ठांकन संख्या/NOC/ 1941-48 /2024-25 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
2. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
3. शिक्षा निदेशक (मा0), उत्तर प्रदेश, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
4. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, फतेहपुर।
6. प्रबन्धक, लाल सिंह इण्टरनेशनल स्कूल, हथगाँव, फतेहपुर, उ0प्र0।
7. कार्यालय प्रति।


PRINCIPAL

Lal Singh International School
Hathgaon-Fatehpur


Manager
LAL SINGH INTERNATIONAL SCHOOL
Hathgaon-Fatehpur


(दिब्य कान्त शुक्ल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज